भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह

दैनिक भास्कर

मधुरिमा बुधवार जोधपुर | 11 अगस्त, 2010

श्रावण शुक्ल पक्ष-2, 2067

14

नागौर जिला क्रिकेट संघ भंग करने पर रोक

हाईकोर्ट ने 20 अगस्त तक कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई

जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिला क्रिकेट संघ के विरुद्ध 20 अगस्त तक कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और संघ कार्यकारिणी को भंग करने पर अंतरिम रोक लग दी है। न्यायाधीश गोविंद माथुर ने मंगलवार को ये आदेश दिए। न्यायालय ने इस मामले में को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं। गौरतलब है कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी संघ के अध्यक्ष हैं और 14 अगस्त को यहां चुनाव होने हैं।

नागौर जिला संघ के अधिवक्ता रमित मेहता ने बताया कि रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ने एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 11 बिंदुओं पर जांच करने के लिए 24 मई को तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। संघ के सचिव राजेंद्रसिंह नांदू ने नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन रजिस्ट्रार की ओर से असंतोष जताया गया। इस पर सात जुलाई को संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद 7 जुलाई को रजिस्ट्रार को संघ के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के आदेश जारी किए।